

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)

मुकदमा
09/2020किस्म मुकदमा
धारा 91 एल.आर.एक्ट
रज्जु दिनांक
25.02.2020निर्णय दिनांक
13.03.2020

उनवान सरकार बनाम तेजपाल पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी मैनाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)

-: निर्णय :-

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का श्यामपुर मैनाना ने सम्वत 2076 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम मैनाना की राजकीय भूमि गै0मु0 जोहड़ ख0न0 134 कुल रकबा 6.0914 है0 किस्म गै0मु0 जोहड़ में से 600 वर्ग फुट पर अतिक्रमी तेजपाल पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी मैनाना ने अवैध रूप से दीवार पत्थर चिनाई व नींव भरकर अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी द्वारा उपस्थित होकर नोटिस जबाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि में दीवार पत्थर चिनाई व नींव भरकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से दीवार पत्थर चिनाई व नींव भरकर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 2.18/- का अतिक्रमण शुदा लगान 1.00 की 50 गुणा जुर्माना राशि 50.00/- बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0अ0निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/वेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू0 अ0 निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दपतर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फैसला हो।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2020 को खुले न्यायालय सुनाया में सुनाया गया।

रा.ले. सं. 4 वर्ष..... के पृ.सं. 65
पर..... की मांग कायम की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील बुहाना

(बशीधर योगी)
तहसीलदार बुहाना